

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 45 / 2015

तारीख रजु 05.06.2015

उनवान

कुसुम पत्नी राजेश जाति जाट निवासी राराशाहपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----वादीया

बनाम

गंभीर सिंह पुत्र सूखा जाति जाट वगैरह निवासी राराशाहपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादी(04)

उपस्थिति:-

सायल की ओर से :- श्री सीताराम एडवाकेट।


गैरसायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 03.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर से ग्राम राराशाहपुर के खसरा नंबर 572/1 के संबंध में एक दावा बाबत विभाजन कृषि आराजी व स्थायी निषेद्याज्ञा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादी वकील द्वारा दिनांक 03.01.2020 को निवेदन किया कि वादी दावा नहीं चलाना चाहते हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का दावा बाबत विभाजन कृषि आराजी व स्थायी निषेद्याज्ञा नंबर 45/2015 कुसुम बनाम गंभीरसिंह नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


03.01.2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

